



No.2024/TG-I/20/P/112(e-file: Upgradation)

New Delhi, dated 13.05.2025

**1. Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

**2. Managing Director,
CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.**

(Commercial Circular No. 07 of 2025)

Sub: Scheme for upgradation of waiting list passengers.

Ref: Instructions issued vide CC no. 08 of 2006, CC 11 of 2006, CC 15 of 2006, CC 31 of 2006, CC 51 of 2006, CC 5 of 2014 and instruction dated 12.10.2017

With a view to optimize the utilization of available accommodation in a train, a scheme to upgrade full fare paying passengers to next higher class against the available vacant accommodation was introduced in the year 2006. At present, this scheme is available in all types of trains including those having sitting accommodation.

2. The matter has been further reviewed and it has been decided to incorporate the following modifications in the upgradation scheme:-

i. Hierarchy for upgradation scheme shall be as under:-

a. For sitting accommodation 2S<VS<CC<EC<EV<EA

b. For sleeping accommodation SL<3E<3A<2A<1A

ii. The upgradation shall be done in the order as mentioned above, separately for sitting and sleeping accommodation.

iii. The upgradation shall be done upto 2 classes in hierarchy which are available in a particular train with the limitation that the upgradation in 1A and the Executive classes (EC, EV & EA) shall be restricted to be done only from just below class i.e. 2A in case of 1A and CC in case of EC/EV/EA.

iv. All passengers who have booked tickets on full fare shall be eligible for upgradation. Those full fare paying passengers who are booking under senior citizen/ lower berth quota may be asked to exercise upgradation choice cautiously. In case such passengers opt for upgradation, a message should come that in higher class you may or may not get lower berth. CRIS will make necessary provisions in the software accordingly.

v. All the vacant accommodation should be exhausted for upgradation without blocking

any minimum accommodation in each class for current booking.

- vi. In future, in case any new class is introduced, the upgradation shall be upto next two levels on the basis of fare with the limit put in para (iii) above. The hierarchy for upgradation will be on the basis of fare.
- vii. All the other features of existing Upgradation scheme shall remain unchanged.

2.1 Hence, the upgradation will now be permitted in different classes as mentioned below:-

Class	Upgraded to	
	First level	Second level
Sleeper	3E-3A	2A
3E	3A	2A
3A	2A	-
2A	1A	-
2S	VS (wherever available)	CC
VS	CC	-
CC	EC	*EV-EA
EC	EV	EA
EV	EA	-

*(only if EC/EV either class is not available in the train)

3. Necessary instruction may be issued to all concerned accordingly.
4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Digitally signed by
SANJAY MANOCHA
Date: 13-05-2025
(Sanjay Manocha)
17:28:00
Director/Passenger Marketing-II,
Phone No. 011-23047367
E-Mail ID- manocha.421sanjay@gov.in
Room No. 415-A, 4th Floor,
Railway Board

No.2024/TG-I/20/P/112(e-file: Upgradation)

New Delhi, dated 13.05.2025

Copy to:

PFA, All Zonal Railways.
Director General of Audit, All Zonal Railways.

Digitally signed by
NARESH CHAND JAIN
Date: 13-05-2025
For Member Finance, Railway Board.
17:29:37

No.2024/TG-I/20/P/112(e-file: Upgradation)

New Delhi, dated 13.05.2025

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CRB & CEO, M(O&BD), Member Finance, Railway Board.
2. PS/MR, PS/MOSR (R), PS/MOSR(S) for information of Hon'ble MR, MoSR(R) and MOSR(S).
3. EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Co-ordination/MR & Addl. PS/MR
4. PED(Vig), EDFC, EDI&P, Railway Board.
5. MD, IRCTC, 2nd Floor, Tower-D, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029.
6. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai- 400 014.

Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार/Government of India

रेल मंत्रालय/Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड/Railway Board

सं.2024/टीजी-1/20/पी/112 (ई-फाइल: अपग्रेडेशन)

नई दिल्ली, दिनांक 13.05.2025

1. प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

2. प्रबंध निदेशक,
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(2025 का वाणिज्य परिपत्र सं. 07)

विषय: प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के उन्नयन (अपग्रेडेशन) के लिए योजना।

संदर्भ: 2006 के वाणिज्य परिपत्र सं. 08, 11, 15, 31, 51 एवं 2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 05 के तहत जारी अनुदेश तथा दिनांक 12.10.2017 के अनुदेश।

गाड़ी में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से, उपलब्ध रिक्त पर पूर्ण किराये का भुगतान करने वाले यात्रियों को अगली उच्च श्रेणी में अपग्रेड करने की योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, यह योजना सभी प्रकार की गाड़ियों में उपलब्ध है, जिनमें बैठने की सुविधा वाली गाड़ियां भी शामिल हैं।

2. इस मामले की पुनः समीक्षा की गई है और उन्नयन योजना में निम्नलिखित आशोधनों को शामिल करने का विनिश्चय किया गया है:-

i. उन्नयन योजना के लिए अनुक्रम निम्नानुसार होगा:-

क. बैठने के स्थान वाली व्यवस्था हेतु 2एस<वीएस<सीसी<ईसी<ईवी<ईए

ख. शयन स्थान वाली व्यवस्था हेतु एसएल<3ई<3ए<2ए<1ए

ii. उन्नयन उपरोक्त क्रम में, बैठने और शयन स्थान वाली व्यवस्था के लिए अलग-अलग किया जाएगा।

iii. उन्नयन किसी विशेष गाड़ी में उपलब्ध अनुक्रम में 2 श्रेणियों तक किया जाएगा, इस सीमा के साथ कि 1ए और एकजीक्यूटिव श्रेणियों (ईसी, ईवी और ईए) में उन्नयन केवल श्रेणी के ठीक नीचे से ही सीमित होगा, अर्थात् 1ए के मामले में 2ए और ईसी/ईवी/ईए के मामले में सीसी।

iv. वे सभी यात्री जिन्होंने पूरे किराए पर टिकट बुक किए हैं, उन्नयन के लिए पात्र होंगे। पूरा किराया चुकाने वाले वे यात्री जो वरिष्ठ नागरिक/निचली बर्थ कोटे के तहत बुकिंग कर रहे हैं, उन्हें उन्नयन का विकल्प सावधानीपूर्वक चुनने के लिए कहा जाये। यदि ऐसे यात्री उन्नयन का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें यह सूचित किया जाना चाहिए कि उच्च श्रेणी में उन्हें निचली बर्थ मिलने या न मिलने की संभावना हो सकती है। क्रिस सॉफ्टवेयर में तदनुसार आवश्यक प्रावधान करेगा।

- v करंट बुकिंग के लिए प्रत्येक श्रेणी में किसी भी न्यूनतम स्थान को अवरुद्ध किए बिना उन्नयन के लिए सभी खाली स्थानों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- vi भविष्य में, यदि कोई नई श्रेणी शुरू की जाती है, तो उन्नयन किराए के आधार पर अगले दो स्तरों तक होगा, जिसकी सीमा उपरोक्त पैरा (iii) में दी गई है। उन्नयन के लिए अनुक्रम किराए के आधार पर होगा।
- vii मौजूदा उन्नयन योजना की अन्य सभी विशेषताएं अपरिवर्तित रहेंगी।
- 2.1 अतः अब उन्नयन विभिन्न श्रेणियों में अनुमत होगा, जैसाकि नीचे उल्लेख किया गया है:-

श्रेणी	में उन्नयन	
	पहला स्तर	दूसरा स्तर
शयनयान	3ई-2ए	2ए
3ई	3ए	2ए
3ए	2ए	-
2ए	1ए	-
2एस	वीएस (जहां कहीं उपलब्ध हों)	सीसी
वीएस	सीसी	-
सीसी	ईसी	*ईवी-ईए
ईसी	ईवी	ईए
ईवी	ईए	-

*(केवल तभी जब गाड़ी में ईसी/ईवी में से कोई भी श्रेणी उपलब्ध न हो)

3. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(संजय मनोचा)

निदेशक, यात्री विपणन-II

दूरभाष: 011-23047367

ईमेल आईडी: manocha.421sanjay@gov.in

कमरा सं. 415-ए, चौथा तल,

रेलवे बोर्ड

सं.2024/टीजी-1/20/पी/112(ई-फाइल: अपग्रेडेशन)

नई दिल्ली, दिनांक 13.05.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें।

महानिदेशक लेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें।

नेर

कृते सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड